[वाइन सरन और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 394-अपीलों का उपशमन-दोषसिद्धि और मृत्युदंड या कारावास की सजा के विरुद्ध अपील-अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी/दोषी की मृत्यु-न्यायमित्र, यदि मृतक का कोई निकट संबंधी अपील जारी रखने के लिए आवेदन करता है-आयोजितः न्यायमित्र के रूप में उपस्थित होने वाले वकील को मृतक अपीलार्थी/दोषी के निकट संबंधी के रूप में नहीं माना जा सकता है-तथ्यों पर, अपील को जारी रखने के लिए आवेदन 30 दिनों के भीतर या उसके बाद भी किसी निकट रिश्तेदार द्वारा नहीं किया गया है।394, तत्काल अपील समाप्त हो जाएगी।

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2016 की आपराधिक अपील संख्या 233।

2007 के आपराधिक अपील No.1678 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.08.2011 से।

/

शिखिल सूरी, सुश्री मधु सूरी, सुश्री ज्योति सूरी, सुश्री निकिता थापर, सुश्री विनीश्मा कौल, सुश्री कोमल गुप्ता, सुश्री महिमा अग्रवाल, सुश्री निधि, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

महफूज़ ए. नाज़की, पोलंकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ़, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, डी. महेश बाबू, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

/

आदेश

1. इस मामले में अपीलार्थी एक अभियुक्त था जिसे विचारण न्यायालय ने अपनी बहू की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया था।उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि की गई थी और इसलिए, यह अपील दायर की गई है।

/

882

883

येरुवा सैयरेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

/

2. मान लीजिए, अपीलार्थी की लगभग 12 साल तक जेल में रहने के बाद मृत्यु हो गई है।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C) की धारा 394 के अनुसार अपीलार्थी/दोषी की मृत्यु पर अपील को समाप्त करना है।इसके परंतुक में इस प्रभाव का अपवाद है कि कोई निकट संबंधी, अपीलार्थी/दोषी की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर, अपील जारी रखने के लिए अनुमति के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है।उक्त परंतुक के स्पष्टीकरण में 'निकट संबंधी' को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ माता-पिता, पति या पत्नी, वंशज, भाई या बहन है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी/दोषी की मृत्यु के बाद अपील जारी रखने के लिए अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं है।3. मृतक अपीलार्थी/दोषी की ओर से इस न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र के रूप में उपस्थित विद्वान वकील श्री शिखिल सूरी ने प्रस्तुत किया है कि यह एक बहुत अच्छा मामला है जिसमें अपीलार्थी के बरी होने की पूरी संभावना है और अपीलार्थी/दोषी की मृत्यु के बाद भी अपील को कम नहीं करने में विधायिका के इरादे पर विचार करते हुए, न्यायमित्र के रूप में उनकी मौखिक प्रार्थना को इस अपील को जारी रखने के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाए और अपील को समाप्त नहीं किया जाए।4. अपील विधि के मूल प्रावधान द्वारा शासित होती है।दंड प्रक्रिया संहिता धारा 394 निम्नानुसार हैः

/

/

/

“394. अपीलों में कमी।- 1) धारा 377 या धारा 378 के अंतर्गत प्रत्येक अपील अंततः अभियुक्त की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी।2) इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक अन्य अपील (जुर्माने की सजा से अपील को छोड़कर) अंततः अपीलार्थी की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगीःबशर्ते

कि जहां अपील किसी दोषसिद्धि और मृत्यु या कारावास की सजा के खिलाफ है, और अपीलकर्ता की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, वहां उसका कोई भी निकट संबंधी, अपीलकर्ता की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर, अपील जारी रखने की अनुमति के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है; और यदि अनुमति दी जाती है, तो अपील समाप्त नहीं होगी। "

/

/

5. एक न्यायमित्र के रूप में वकील को मृतक अपीलार्थी/दोषी के निकट संबंधी के रूप में नहीं माना जा सकता है।अपील को जारी रखने के लिए आवेदन 30 दिनों के भीतर या उसके बाद भी किसी करीबी रिश्तेदार द्वारा नहीं किया गया है, हमारी राय में, Cr.P.C की धारा 394 के प्रावधान के अनुसार, यह अपील समाप्त हो जाएगी।तदनुसार, अपील को समाप्त होने के रूप में निपटाया जाता है।

/

निधि जैन

अपील का निपटारा किया गया।

/